तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 210/2020 रे0फो0 **सुरजमल बनाम दौलतराम वगैरह** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 19.02.2026

परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री भरतगिरी गोस्वामी उपस्थित।

अभियुक्त **नाथूलाल, सोहनलाल, नानालाल, घीसा व मोहनलाल** अनुपस्थित। अधिवक्ता **श्री भूपेश जटिया** उपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।

इस स्तर पर अभियुक्त शंकर पिता लकमा बैरवा व मय अधिवक्ता श्री भूपेश जटिया उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

इस स्तर पर अभियुक्त **शंकर** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** प्रस्तुत किया गया। नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाय गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। प्रकरण इस न्यायालय में विचारणीय है। इसलिए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना खमनोर द्वारा दिनांक 01.05.2010 को एफआर प्रस्तुत की गई। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2016 को एफआर अस्वीकार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त शंकर की प्रकरण में प्रथम उपस्थिति है।

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 210/2020 रे0फो0 **सुरजमल बनाम दौलतराम वगैरह** **2**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त शंकर द्वारा 5,000/– रुपये का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी राशि का एक सुदृढ़ जमानत मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दिया जाता है तो अभियुक्त शंकर को प्रकरण में रिहा किया जावें।

अभियुक्त द्वारा न्यायालय आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत किए गए, जो बाद जांच तस्दीक किए गए। अभियुक्त को रिहा किया गया।

प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध समन प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है।

पत्रावली साक्ष्य परिवादी में नियत की जाती है।

साक्ष्य परिवादी में परिवादी की ओर से प्रस्तुत गवाह सूची के गवाह संख्या 01 से 04 को जरिये जमानती वारंट 5,000/– रुपये से तलब किया जावें।

गवाहान को जारी वारंट पर प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस होने से आवश्यक रूप से तामील करवाए जाने का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें।

तामील की एक प्रति एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी दिनांक 26.02.2026 को पेश हो।